



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सूडा उ.प्र.)



प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail: nulmup@gmail.com website: www.sudaup.org

पत्रांक: 024 / 241 / एनयूएलएम / तीन / 2014 / EST&P-(SDI)-AB

दिनांक 11/12/15

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।
2. नगर आयुक्त / परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट आफिसर
नगर निगम
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर,
झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ तथा फिरोजाबाद।
3. परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर,
झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर),
अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ, बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्भल, चदौंसी,
फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मुगलसराय, बडौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद,
फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज,
लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत,
रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरैया, बागपत,
बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट धाम कवी, दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, बिजनौर,
कन्नौज, पडरौना (कुशीनगर), महोबा, मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर),
सिद्धार्थनगर, राबर्टसगंज (सोनभद्र), अमेठी, ज्ञानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर
देहात), मंझनपुर (कौशाम्बी) तथा भिनगा (श्रावस्ती)।

विषय:— असेसिंग बाडीस को भुगतान एवं अन्य सहयोग उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदया / महोदय,

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी०एण्डपी०) के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेन्ट (प्रमाणीकरण) हेतु सूडा के पत्रांक— 3103 / 241 / NULM / तीन / 2001 / EST&P(SDI)AB, दिनांक 06.11.2015 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त दिशानिर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षणार्थियों के समयबद्ध तरीके से असेसमेन्ट प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित का नियमानुसार पालन किया जाये:—

1. सी०एम०एम०यू०/डूडा और कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा असेसिंग बाडीस को असेसमेन्ट से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं ससमय एवं पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराया जाये।
2. सी०एम०एम०यू०/डूडा द्वारा सभी कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को सूचित किया जाये कि असेसमेन्ट के समय प्रशिक्षणार्थियों के पास उनका पहचान पत्र (आई० डी० प्रूफ) होना सुनिश्चित कराये।
3. सी०एम०एम०यू०/डूडा द्वारा सभी कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के टेसिंग सेन्टरों में असेसमेन्ट हेतु आवश्यक एवं निर्धारित सामाग्री/एक्यूपमेन्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
4. असेसिंग बाडीस द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की असेसमेन्ट लागत प्राप्त करने हेतु असेसमेन्ट में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों का उपस्थिति पत्र एवं प्रमाण पत्रों के साथ ही असेसमेन्ट लागत का विवरण (इनवाइस, बैंक का विवरण) संबंधित शहर के सी०एम०एम०यू०/डूडा को उपलब्ध कराया जायेगा।

सी0एम0एम0यू0/डूडा को प्रमाण पत्र एवं असेसमेन्ट लागत का विवरण प्राप्त होने के 06 दिनों के अन्दर असेसिंग बाडी को भुगतान कराया जाये।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव (एन0यू0एल0एम0) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक (एस0डी0आई0), डी0जी0टी0, कौशल विकास एवं उद्यमिता, मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
5. क्षेत्रीय निदेशक, आर0डी0ए0टी0 (RDAT) कानपुर।
6. समस्त परियोजना अधिकारी/ सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त शहर मिशन प्रबन्धक।
8. आर0डी0ए0टी0 (RDAT) कानपुर में इम्पैनलड सभी असेसिंग बाडी जो उ0प्र0 में असेसमेन्ट (प्रमाणीकरण) का कार्य कर रही है।
9. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ0प्र0 को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक